तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1514/2004/जालोर** **बेलाराम बनाम मथुरादास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री एस0पी0सिंह, अभिभाषक, प्रार्थीगण।
(2) श्री गौरव दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2

––

निर्णय

दिनांकः 19.03.2021

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालौर द्वारा अपील सं0 02/2001 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 21–03–2001 शीर्षक **''मथुरा प्रसाद बनाम ग्राम पंचायत व अन्य''** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वेलाराम आदि ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम बांकली के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम बांकली तहसील आहौर में स्थित भूमि हाल खसरा नं0 201, 211 व 213 की मेड़ पर से होकर कदीमी रास्ता सार्वजनिक नदी में होकर उनके (प्रार्थीगण) खातेदारी के खेतों में जाता है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण एवं समस्त ग्रामवासी करते चले आ रहे हैं। इस कारण उक्त कदीमी रास्ते का राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस में भी खसरा नं0 212 के रूप में इन्द्राज किया हुआ है परन्तु अब मथुराप्रसाद एवं हीरालाल (अप्रार्थीगण) उक्त कदीमी रास्ते को अवरूद्ध कर रहे हैं। इस कारण मौके पर रास्ता खुलवाया जावें। विद्वान ग्राम पंचायत बांकली ने दोनों पक्षों की साक्ष्य व सबूत लेकर रास्ता को कदीमी साबित पाये जाने के कारण अपने आदेश दिनांक 2–11–2000 के द्वारा खोलने का आदेश दे दिया जिस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट मथुराप्रसाद ने विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–03–2001 के द्वारा अपील स्वीकार करके आदेश दिनांक 2–11–2000 को निरस्त कर दिया जिस निर्णय दिनांक 21–03–2001 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1514/2004/जालोर** **बेलाराम बनाम मथुरादास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के अहम कानूनी बिन्दु को निर्णित किये बिना ही अपील स्वीकार कर ली। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने ग्राम पंचायत बांकली के आदेश दिनांक 2–11–200 को निरस्त करने का मुख्य कानूनी बिन्दु यह बनाया कि ग्राम पंचायत ने 45 दिन के बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो कि क्षेत्राधिकार विहिन है। विद्वान अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम तौर पर निस्तारण ही नहीं किया है। इस कारण उनके द्वारा पारित निगरानीग्रस्त निर्णय दिनांक 21–3–2001 गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर, जालौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–3–2001 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत बांकली द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–11–2000 को बहाल रखा जावें।

5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उचित एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– ग्राम पंचायत बांकली ने दिनांक 2–11–2000 को निर्णय पारित किया कि श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय जिला जालौर को ग्राम पंचायत के निर्णय की प्रतिलिपि भेजकर निवेदन किया जावें कि ग्राम बांकली में खसरा नं0 212 क्षेत्रफल 0–26 है0 बंजड़ भूमि को रेवेन्यू रेकार्ड में रास्ता दर्ज शीघ्र किया जावें। इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर न्यायालय अति0 कलक्टर, जालोर ने दिनांक 21–3–2001 को अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1514/2004/जालोर** **बेलाराम बनाम मथुरादास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वीकार कर ग्राम पंचायत बांकली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–11–2000 को निरस्त कर दिया। विद्वान अति0 जिला कलक्टर, जालोर के उक्त निर्णय के विरूद्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसका मुख्य आधार है कि कदीमी रास्ता साबित पाये जाने के कारण ही ग्राम पंचायत ने कदीमी रास्ते को खुलवाने का हुक्म प्रदान किया। ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 2–11–2000 के विरूद्व अपील मियाद बाहर पेश की गई थी किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के अहम कानूनी बिन्दू को निर्णित किये बिना ही अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 2–11–2000 को निरस्त कर दिया, जो निरस्त योग्य है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय दिनांक 2–11–2000 में अंकित किया है कि श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय जिला जालौर को ग्राम पंचायत के निर्णय की प्रतिलिपि भेजकर निवेदन किया जावें कि ग्राम बांकली में खसरा नं0 212 क्षेत्रफल 0–26 है0 बंजड़ भूमि को रेवेन्यू रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावें जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नं0 212 क्षेत्रफल 0–26 है0 किस्म बंजड़ भूमि को रास्ता खोलने व रास्ता दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया। धारा–251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू–धारक का उसमें मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का आनन्द लेने में आई बाधाओं को दूर करने के लिए संक्षिप्त (सरसरी) जांच द्वारा उपचार प्रदान करती है। इस धारा के तहत किसी अथोरिटी को कोई रास्ता किसी खातेदारी के खेत से होकर बनाने का अधिकार नहीं है। केवल बन्द रास्ता को खोले जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् निर्णय पारित किया गया जो उचित नहीं है।

9– उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 2–11–2000 को पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अति0 जिला कलक्टर, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–3–2001 विधिसम्मत होने से निगरानी काबिल खारिज योग्य है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–03–2001 यथावत रखा जाता है। निगराकार राजस्थान काश्तकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1514/2004/जालोर** **बेलाराम बनाम मथुरादास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कानून, 1955 के प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में अपने अधिकार/सुखाचार हेतु चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। 11– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	